

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

336

प्रकरण क्रमांक ---/निगरानी/2012/सिंगरौली

R-4076-I/12

श्री कुवरी लाल कुशवाह, अधिवक्ता
द्वारा आज दि. 30-11-12 को
प्रस्तुत

कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1 रामलला पुत्र श्री जनी केवट
- 2 राज कुमार पुत्र श्री जनी केवट
निवासीगण ग्राम गोरबी तहसील चितरंगी
जिला सिंगरौली

--- आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

--- अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0मू-राजस्व संहिता 1959 के
अंतर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली
के प्रकरण क्र. 102/निगरानी/2011-12 आदेश
दिनांक 10.10.2012 को पारित



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

2-4076/112/निगरानी

21/12/18

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषको के
हस्ताक्षर

28/12/18

आवेदक की ओर से श्री चुआर सिंह मंडावा
अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला - निगरानी
के प्रकरण क्रमांक 102/505/11-12 में पारित आदेश दिनांक
10-10-12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में
दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित
संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु
प्रकरण आयुक्त संभाग - 29वा के न्यायालय को अंतरित किया
जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03/04/19 को संभागीय आयुक्त
29वा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य